JALAUN POLICE

दिनांक- 27.08.2026

कोतवाली कालपी पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर चोरी की घटना का सफल अनावरण कर शातिर चोर को चोरी से सम्बन्धित शत-प्रतिशत सोने, चांदी के जेवरात (अनुमानित कीमत 11,00,000/- रुपये) एवं 18,080/- रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 26.08.2026 को वादी श्री राजेश कुमार पुत्र गंगाधार निवासी ग्राम छौंक थाना कालपी जनपद जालौन द्वारा तहरीरी सूचना दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर में रखे जेवरात व रुपये चोरी कर लिए गये हैं, जिसके संबन्ध में कोतवाली कालपी पर मु0अ0सं0 198/26 धारा 331(4)/305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के पर्यवेक्षण तथा अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के नेतृत्व में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत व विवेचना से प्रकाश में आये शातिर चोर रोहित कुमार पुत्र कैलाश कुमार अहिरवार निवासी ग्राम छौंक थाना कालपी जनपद जालौन को कोतवाली कालपी पुलिस टीम द्वारा कुल 18,080 रूपये नगद तथा सोने व चांदी के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया गया।

माल बरामदगी के सम्बन्ध में अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अभियुक्त रोहित द्वारा बताया गया कि मेरा बड़ा भाई प्रशान्त दिल्ली सब्जी-मण्डी में सब्जी का काम धन्धा करता है जिसको काम में घाटा हो गया था। कर्जा हो जाने से मैने मौका पाकर गांव के ही राजेश के घर में घुसकर चोरी कर ली थी।

अभियुक्त का विवरण-

1- रोहित कुमार पुत्र कैलाश कुमार अहिरवार निवासी ग्राम छौंक थाना कालपी जनपद जालौन उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1. 18080/- रुपये नगद

2. 01 अदद हार, 01 अदद मंगलसूत्र, 01 अदद जंजीर, 01 अदद कान का टॉप्स -सभी पीली धातु

3. 04 अदद चूड़ियां, 01 अदद अंगूठी, 01 अदद हाय -सभी पीली धातु

4. 01 अदद कमरबंद , 02 अदद लच्छा, 03 अदद चूड़ियां, 02 अदद चूड़ा- सभी चांदी की।

5. 04 अदद पायल, 04 अदद तोड़ियाँ, 06 जोड़ी बिछिया, 01 अदद हाय- सभी चांदी की।

शत-प्रतिशत सोने एवं चांदी के जेवरात (अनुमानित कीमत 11,00,000/- रुपये) एवं 18,080/- रूपये।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 कोतवाली कालपी मय पुलिस टीम।